भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *48

दिनांक 6 फरवरी, 2024 के लिए प्रश्न

अफ्रीकी स्वाइन फीवर के नियंत्रण हेतु सहायता

***48. एडवोकेट ए. एम. आरिफ़:**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर (एएसएफ) के नियंत्रण हेतु पशु रोग नियंत्रणार्थ राज्यों को सहायता (एएससीएडी) के अंतर्गत केरल को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की हिस्सेदारी बार-बार स्मरण-पत्र भेजे जाने के बाद भी लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार ने मवेशी पालन को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के घटक के रूप में शामिल करने की केरल राज्य की मांग पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है:

(ग) क्या सरकार का डेयरी किसानों को प्रति वर्ष चार से पांच प्रतिशत कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने का विचार है जैसा कि कृषि क्षेत्र पर लागू है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का केरल राज्य की मांग के अनुसार बंजर भूमि पर घास की खेती के लिए पशु आहार राजसहायता प्रदान करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

''अफ्रीकी स्वाइन ज्वर के नियंत्रण हेतु सहायता'' के संबंध में दिनांक 06.02.2024 को एडवोकेट ए. एम. आरिफ द्वारा लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 48 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) जी नहीं। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार के पास पशु रोग नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (एएससीएडी) के तहत अफ्रीकी स्वाइन ज्वर (एएसएफ) नियंत्रण हेतु केरल का कोई केंद्रीय हिस्सा लंबित नहीं है। वर्ष 2023-24 के दौरान, केरल हेतु "पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण (एलएच एवं डीसी) योजना के एक घटक "पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (एएससीएडी)" के तहत अफ्रीकी स्वाइन ज्वर (एएसएफ) की क्षतिपूर्ति के लिए 265.48 लाख रुपये की राशि सहित 1129.58 लाख रुपये की कार्य योजना को अनुमोदित किया गया तथा संस्वीकृति दिनांक 30 नवंबर 2023 को जारी की गई। राज्य के पास अव्ययित शेष राशि थी अतः निधि जारी नहीं की जा सकी। जनवरी 2024 के दौरान एएससीएडी के तहत एएसएफ के लिए निधि सहित 282.39 लाख रुपये जारी किए गए।
(ख) पशुपालन और डेयरी विभाग से संबंधित नहीं है।

(ग) पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएएचडी) प्रधान मंत्री के आत्मनिर्भर भारत प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) कार्यान्वित कर रहा है और डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन अवसंरचना, मांस प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन अवसंरचना, पशुपालन संयंत्र, नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी, और नस्ल वृद्धि फार्म, पशुचिकित्सा टीके और औषधि उत्पादकता की सुविधा स्थापित करना तथा पशु अपशिष्ट से समृद्धि प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन) की स्थापना हेतु व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), एमएसएमई और धारा 8 कंपनियों और सहकारी समितियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित कर रहा है। सभी पात्र संस्थाओं को अनुमानित/वास्तविक परियोजना लागत के 90% तक का ऋण तथा 3% का ब्याज सबवेंशन, मिलने वाले लाभ हैं। संशोधित योजना के तहत ऋण अनुसूचित बैंकों एनडीडीबी, नाबार्ड और एनसीडीसी से प्राप्त किया जा सकता है।

इसके अलावा, डीएएचडी "राज्य डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता" (एसडीसी और एफपीओ) योजना के तहत डेयरी सहकारी समितियों और दूध उत्पादक कंपनियों को कार्यशील पूंजीगत ऋण पर 2% ब्याज सबवेंशन और शीघ्र भुगतान हेतु अतिरिक्त 2% ब्याज सबवेंशन प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के तहत लाभार्थियों को दूध और दूध उत्पादों की बिक्री बढ़ाने, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं को उन्नत करने, विपणन अवसंरचना और उत्पादक-स्वामित्व वाले संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के लिए भी सहायता दी जाती है।

इसके अलावा, डीएएचडी डेयरी क्षेत्र के लिए उद्यमिता को आकर्षित करने के साथ ही डेयरी फार्मिंग का एक हब और स्पोक मॉडल विकसित करने का अवसर सृजित करने के लिए नस्ल वृद्धि फार्म घटक को भी क्रियान्वित कर रहा है। यह एक ऐसा मॉडल है जहां छोटे और सीमांत डेयरी किसान विश्वसनीय डेयरी सेवाओं के स्थानीय हब की मदद से फल-फूल सकते हैं। पर्वतीय और उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर जहां पशुयूथ की संख्या 50 है, देश में न्यूनतम 200 बोवाइन पशुयूथ के आकार के नस्ल वृद्धि फार्मों की स्थापना के लिए निजी उद्यमियों को इस योजना के तहत पूंजीगत लागत (भूमि लागत को छोड़कर) पर 50% (प्रति फार्म 2 करोड़ रुपये तक) सब्सिडी प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में केरल राज्य से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। हालाँकि, डीएएचडी डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) घटक के तहत गोपशु आहार/आहार संपूरक संयंत्र और पशु आहार गो-डाउन हेतु डेयरी सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के तहत पशु चारा संयंत्र के लिए व्यक्तिगत उद्यमियों को भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के तहत, उद्यमी विकास कार्यक्रम (ईडीपी) योजना का उद्देश्य चारा मूल्य संवर्धन इकाई की स्थापना हेतु 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करके रोजगार सृजन तथा उद्यमिता विकास करना है।

****